

# बिहार गजट

# असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 541)

16 वैशाख 193*7* (श0) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

\_\_\_\_\_

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-3/2015/54 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्निखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

## बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 6, 2015)

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** (1) यह अधिनियम बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
  - (2) इसका विस्तार संम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
- 2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा-2 में संशोधन। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (एतपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्देशित) की धारा-2 की उप-धारा (ढ़) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा (ण) जोड़ी जायेगी।
- "(ण) 'विधिक संघ' से अभिप्रेत है अधिवक्ता/विधिज्ञ संघ संबंधन नियमावली, 1985 के नियम 1 (क) एवं 2 (ख) के अधीन संबद्ध किसी न्यायालय न्यायिधकरण या प्राधिकरणों इत्यादि में कृत्यकारी और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा गठित बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् से निबंधित किसी नाम से जाना जाने वाले अधिवक्ताओं के संघ।"
- 3. **बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा-5 में संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (5) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा (6) जोड़ी जाएगी:-
- ''(6) न्यासी समिति के कर्मियों की सेवा शर्त्ते अधिनियम की धारा-27 के अधीन बनाई गई नियमावली से शासित होंगी।''
- 4. बिहार अधिनियम, 16, 1983 की धारा-16 में संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेगे:-
  - (क) उप-धारा (3) में शब्द ''दो सौ रूपये'' शब्द ''पाँच सौ रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित कियें जाएगें।
  - (ख) उप-धारा (5) में शब्द ''पचास रूपये'' शब्द ''दो सौ रूपये'' और शब्द ''एक सौ रूपये'' शब्द ''पाँच सौ रूपये'' द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएगें।
  - (ग) धारा 16 की उप-धारा (12) के बाद निम्नलिखित नई उप-धाराएँ (13) और (14) जोड़ी जाएगी:-
    - ''(13) कोई अधिवक्ता, जो आवेदन की तिथि को 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका हो, निधि के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकेगा।
    - (14) कोई भी सदस्य, निधि की विद्यमान सदस्यता का अपना पचास वर्ष पूरा कर लेने के बाद भी अपने प्रैक्टिस की तिथि तक उप-धारा (5) में विहित वार्षिक अंशदान अथवा न्यासी सिमिति द्वारा नियत की गई एकमुश्त राशि के भुगतान पर निधि का सदस्य होना जारी रख सकेगा और अधिनियम एवं उसके अधीन बनाई गई नियमवाली के अधीन विहित और न्यासी सिमिति द्वारा सम्यक्रूप से निर्णीत वर्त्तमान दर, से न्यासी सिमिति से सभी लाभ प्राप्त करने हेत्, समान रूप से हकदार होगा।''
- 5. बिहार अधिनियम 16, 1983 में नई धारा-17क का जोड़ा जाना।- उक्त अधिनियम की धारा-17 के बाद निम्नलिखित नई धारा-17 क जोड़ी जायेगी।-
- "17 क-न्यासी सिमिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन।- (1) कोई भी निधि का व्यथित अधिवक्ता अपनी सदस्यता अथवा किसी दावा के भुगतान से संबंधित, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन, निधि की न्यासी सिमिति के आदेश के विरूद्ध, न्यासी सिमिति के समक्ष, उस आदेश की प्राप्ति या जानकारी की तिथि से 30 दिनों के भीतर, पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकेगा;

परंतु न्यासी सिमिति, युक्तितयुक्त एवं पर्याप्त कारणों से, पुनर्विलोकन आवेदन दायर करने में विलम्ब को माफ कर सकेगी।

(2) पुनर्विलोकन आवेदन संक्षिप्त एवं निम्नलिखित के साथ संलग्न होगा:-

- (क) पुनर्विलोकन किया जानेवाला आदेश; एवं
- (ख) पाँच सौ रूपये की फीस, जो वापस नहीं की जाएगी।
- (3) ऐसे पुनर्विलोकन आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यासी सिमिति का विनिश्चय अंतिम होगा।''
- 6. बिहार अधिनियम, 16, 1983 की धारा-22 में संशोधन। धारा-22 की उप-धारा (1) में शब्द ''पाँच रूपये'' शब्द ''पन्द्रह रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-3/2015/55 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा 29 अप्रील 2015 को अनुमत **बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

### BIHAR ADVOCATES' WELFARE FUND (AMENDMENT) Act, 2015 [Bihar Act 6, 2015]

#### AN ACT

To amend the Bihar Advocates welfare fund Act, 1983.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. **Short title, extent and commencement** .- (1) This Act may be Called the Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.
- 2. **Amendment in section-2 of the Bihar Act, 16 of 1983.-** After sub-section (n) of section 2 of the Bihar Advocates' Welfare Fund Act 1983 (hereinafter referred as the said Act), the following new subsection (o) shall be added.
- "(o) 'Bar Association' means the Associations of Advocates known by any name functioning in any Court, Tribunal or Authorities etc affiliated under rule 1(a) and 2(b) of the Advocates/Bar association Affiliation Rules, 1985, and registered with Bihar State Bar Council constituted under Advocates Act 1961."
- 3. Amendment in section 5 of the Bihar Act, 16 of 1983.- In the said Act after sub-section (5) of section 5, a new sub-section (6) shall be added as follows, namely-
- "(6) Service Condition of the employees of the Trustee committee shall be governed by the Rules made under section-27 of the Act."
- 4. **Amendment in Section 16 of the Bihar Act, 16 of 1983.-** The following amendments shall be made in Section 16 of the said Act.
  - (a) In sub-section (3), the words: "two hundred rupees" shall be substituted by the words" Five hundred rupees."

- (b) In sub-section (5) the words "fifty rupees" shall be substituted by the words "Two hundred rupees" and the words "one hundred rupees" by the words "Five hundred rupees" respectively.
- (c) After sub-section (12) of section 16, the following new sub-sections (13) and (14) shall be added:-
  - "(13)- No Advocate, who has attained the age of 50 or above on the date of application, shall be admitted as a member of the Fund.
  - (14) A member of the Fund even after completing his fifty years of existing membership of the Fund, may continue to be a member of the Fund till the date of his practice on the payment of annual subscription prescribed in sub section (5) or one time lump-sum amount fixed by the Trustee committee and be equally entitled to get all such benefits from the Trustee Committee at the prevailing rate prescribed under the Act and rules made thereunder and as duly decided by the trustee committee."
- 5. Addition of a new section 17A in Bihar Act 16 of 1983.- The following new Section 17A shall be added after Section 17 of the said Act:-
- "17A Review of the decision of the Trustee committee.- (1) Any aggrieved Advocate-member of the Fund relating to his membership or payment of any claim, may prefer a review application against the order of Trustee Committee of the Fund passed under the provision of this Act and Rules made thereunder before the Trustee committee within the thirty days from the date of receipt/knowledge of such order:-

Provided that trustee committee, with reasonable and sufficient reasons, may condone the delay in preferring such review application

- (2) the review application shall be precise and be accompanied by-
  - (a) the order to be reviewed, and
  - (b) a fees of five hundred rupees which shall not be refunded
- (3) on such review application after being heard the decision of the Trustee committee shall be finial."
- 6. **Amendment in Section-22 of the Bihar Act 16 of 1983**.- The words "Five rupees" used in sub-section (1) of section 22 shall be substituted by the words "fifteen rupees."

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 541-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in